FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

ब्जे अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी ....

प्रार्थीगण बनाम	विप्रार्थीगण
1. कृष्ण पुत्र देराम 2. रामगोपाल पुत्र देराम 3. श्रवण पुत्र देराम (प्रार्थी संख्या 2 व 3 नाबालिग की वली माता मोहनीदेवी पत्नी देराम) जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास, बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. कानाराम पुत्र मोबताराम वगैरा (19) 20. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा....धारा 212 RTA

मु0नं0..53../19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
18.04.2019	प्रार्थीगण कृष्ण वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री डालूराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण कानाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 हिन्दू विधि से शासित है तथा मुतवली मोबता के वंशज हैं, मुतवली मोबता के काना व भाखरा पुत्र हैं, जिनकी व व मोबता के भाईयों की पैतृक कृषि भूमि पटवार मण्डल बाण्ड के राजस्व ग्राम खीचड़ों का वास के खेत खसरा नम्बर 742 रकबा 115 बीघा व खसरा नम्बर 742/2 रकबा 56 बीघा के आये हुए हैं। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 285/1736 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। तथा इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के पिता द्वारा बाहमी बंटवारा में दी गई भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है एवं ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि को अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। यदि बिप्रार्थीगण अपने नाजायज मक़सद में कामयाव होते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी आपूर्ति भविष्य किया जना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी विप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 01 के पौत्र है। तथा प्रार्थीगण के उक्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार निहित हैं। प्रार्थीगण ने अपने हकों की घोषणा करवाने एवं विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विप्रार्थीण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिस होने से एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं विप्रार्थगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर प्राथीगण को बेदखल करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। अतः तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के हक में निहित हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा खीचड़ों का वास के खेत खसरा नम्बर 742 रकबा 115 बीघा व खसरा नम्बर 742/2 रकबा 56 बीघा [illegible] प्रार्थीगण के [illegible] व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही [illegible] मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी [illegible] पत्रावली दिनांक ....01.07.2019........... को पेश हो। (दिनेश विश्नोई) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.11 11:54:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम–गुड़ामालानी

कृष्णा	बनाम	कानाराम
जीसीएमएस संख्या 2019/00212	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
30/12/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 02/1/25 को पेश हो।	
02/1/25	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित प्रार्थीगण के मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/4/19 निरस्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.11 11:54:35 IST
Reason: SelfAttested